



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 479]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 26, 2011/भाद्र 4, 1933

No. 479]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 26, 2011/BHADRA 4, 1933

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2011

सा.का.नि. 646(अ).—संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श के बाद राष्ट्रपति केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों को केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) (तीसरा संशोधन) नियमावली, 2011 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 में नियम 38-ए के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“38-क सेवाकाल में छुट्टी यात्रा रियायत सहित अर्जित अवकाश का नकदीकरण—

(1) एक सरकारी कर्मचारी को सेवाकाल में छुट्टी यात्रा रियायत लेते समय एक बार में दस दिनों तक की अर्जित छुट्टी के नकदीकरण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा सकती है :—

(क) नकदीकरण की अवधि और ली जा रही छुट्टी की गणना करने के बाद उसके खाते में न्यूनतम तीस दिन की अर्जित छुट्टी शेष होनी चाहिए।

(ख) सम्पूर्ण कैरियर के दौरान इस तरह नकदीकृत की गई कुल छुट्टी साठ दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत छुट्टी के नकदीकरण हेतु नकदीकरण के समकक्ष रोकड़ की गणना निम्नवत की जाएगी, अर्थात् :—

समकक्ष रोकड़	=	छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ लेते समय अनुमत्य वेतन जमा उस तिथि को अनुमत्य मंहगाई भत्ता	×	एक बार में दस दिनों की अधिकतम सीमा के अधीन नकदीकृत की जा रही अर्जित छुट्टी के दिनों की संख्या
--------------	---	---	---	---

30

(3) उप-नियम (2) के अंतर्गत परिकल्पित समकक्ष रोकड़ में कोई मकान किराया भत्ता शामिल नहीं किया जाएगा।

(4) नकदीकृत की गई अर्जित छुट्टी को नियम 6, 39, 39-ए, 39-बी, 39-सी और 39-डी के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी द्वारा सामान्यतः नकदीकृत की जा सकने वाली छुट्टी की अवधि से नहीं घटाया जाएगा।

(5) यदि सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 के अंतर्गत निर्धारित समय के अन्दर छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ नहीं लेता है तो उसे नकदीकृत की गई छुट्टी की सम्पूर्ण राशि भविष्यनिधि शेष पर यथा लागू सरकार द्वारा अनुमत्य ब्याज दर से दो प्रतिशत अधिक के साथ वापस करनी पड़ेगी और छुट्टी नकदीकरण हेतु इस तरह घटाई गई छुट्टी उसे वापस मिल जाएगी।

[फा. सं. 14028/1/2010-स्था. (छुट्टी)]

ममता कुन्दा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मुख्य नियम अधिसूचना सं. का.आ. 940, दिनांक 8 अप्रैल, 1972 द्वारा प्रकाशित किए गए और पिछली बार अधिसूचना सं. सा.का.नि. 601(अ), दिनांक 5-8-2011 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2011.

G.S.R. 646(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) (Third Amendment) Rules, 2011.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. For rule 38-A of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, the following rule shall be substituted, namely :—

“38-A. Encashment of Earned Leave along with Leave Travel Concession while in service.—

(1) A Government servant may be permitted to encash earned leave up to ten days at the time of availing of Leave Travel Concession while in service subject to the conditions that—

- (a) a balance of atleast thirty days of earned leave is available to his credit after taking into account the period of encashment as well as leave being availed of;
- (b) the total leave so encashed during the entire career does not exceed sixty days in the aggregate;

(2) The cash equivalent for encashment of leave under sub-rule (1) shall be calculated as follows, namely :—

Cash equivalent	=	Pay admissible on the date of availing of the Leave	×	Number of days of earned leave being encashed subject to the maximum of ten days at one time.
		Travel Concession plus Dearness Allowance admissible on that date.		

30

(3) No House Rent Allowance shall be included in the cash equivalent calculated under sub-rule (2);

(4) The period of earned leave encashed shall not be deducted from the quantum of leave that can normally be encashed by the Government Servant under rules 6, 39, 39-A, 39-B, 39-C and 39-D;

(5) If the Government Servant fails to avail the Leave Travel Concession within the time prescribed under the Central Civil Services (Leave Travel Concession) Rules, 1988, then he shall be required to refund the entire amount of leave so encashed along with interest at the rate of two per cent above the rate of interest allowed by the Government as applicable to Provident Fund balances and shall also be entitled for credit back of leave so debited for leave encashment.”

[F. No. 14028/1/2010-Estt. (Leave)]

MAMTA KUNDRA, Jt. Secy.

Foot Note: The principal rules were published *vide* number S.O. 940, dated the 8th April, 1972 and was last amended *vide* Notification No. G.S.R. 601(E), dated 5-8-2011.